

कार्यालय अधिष्ठाता, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी

गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक

/स्था.अराज/2021

ग्वालियर दिनांक

/.../2021

// विज्ञापित सूचना //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 1554-63/स्था. /अराज/2020, भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन में शासकीय/स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के स्टाफ नर्स के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रदेश के शासकीय नर्सिंग स्कूल/शासकीय/स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

01. (अ) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर के अनुसार वर्गीकरण :-

		आरक्षण अनुसार वर्गीकरण							
क्र.	पदनाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाति (16%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	आर्थिक रूप से कमजोर (10%)	वेतनमान लेवल	न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1	स्टॉफ नर्स (केवल महिला)	120	28 (02 PD, 03 SN) कुल=33	21 (01 PD, 02 SN) कुल=24	16 (01 PD, 02 SN) कुल=19	27 (02 PD, 03 SN) कुल=32	10 (01 PD, 01 SN) कुल=12	लेवल 07 (28700-91300)	01. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 02. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।
2	स्टॉफ नर्स (संविदा 20%) (केवल महिला)	30	07 (01 SN) कुल=08	05 (01 SN) कुल=06	04 (01 SN) कुल=05	07 (01 SN) कुल=08	03		
कुल योग		150	41	30	24	40	15		

(ब) गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर में स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत पदों पर नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर लगाने के उपरांत, पूर्व में कार्यरत स्टाफ नर्सों का समायोजन उपरांत, श्रेणी अनुसार रिक्त पदों का वर्गीकरण :-

		आरक्षण अनुसार वर्गीकरण							
क्र.	पदनाम	रिक्त पद	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाति (16%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	आर्थिक रूप से कमजोर (10%)	वेतनमान लेवल	न्यूनतम अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8	09	10
1	स्टॉफ नर्स (केवल महिला)	157	00	54 (07 PD, 12 SN) कुल=73	00 (02 PD, 02 SN) कुल=04	42 (10 PD, 16 SN) कुल=68	09 (01 PD, 02 SN) कुल=12	लेवल 07 (28700-91300)	01. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 02. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।
2	स्टॉफ नर्स (संविदा 20%) (केवल महिला)	47	00	17 (01 PD, 02 SN) कुल=20	03 (01 PD, 02 SN) कुल=20	17 (01 PD, 02 SN) कुल=20	04		
कुल योग		204	00	93	07	88	16		

सीधी भर्ती के 20 प्रतिशत नियमित पदों को संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये आरक्षित है। SN को भूतपूर्व सैनिक एवं PD को दिव्यांग के रूप में दर्शाया गया है। उपरोक्त (अ) एवं (ब) के रिक्त स्टाफ नर्सों के पदों पर आवेदन करने हेतु प्राथमिकता दर्ज कराया जाना अनिवार्य है। अर्थात् आवेदक एक अथवा दोनों में आवेदन हेतु स्वतंत्र होगा। प्राथमिकता के आधार पर मेरिट सूची (अ) एवं (ब) की पृथक-पृथक तैयार की जावेगी।

02.. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

01. स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिये निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् कार्यरत स्टाफ नर्सों की परीक्षा ली जावेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।
02. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

03.. आरक्षण :-

01. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
02. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
03. आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
04. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट), भोपाल दिनांक 03 जुलाई 2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में 06 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में दिव्यांग हेतु 06 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गये हैं।
05. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को निःशक्ता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मोडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
06. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के संबंध सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.04.1999 द्वारा संशोधित करते हुये किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 20 प्रतिशत "होरिजेण्टल" (प्रवर्गवार) आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में भूतपूर्व सैनिक हेतु तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी 20 प्रतिशत के अनुसार कुल रिक्तियों पर पद आरक्षित रखे गये हैं।
07. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जारी विज्ञापित में किया गया है।
08. जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
09. उपरोक्त पदों में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के नियम 1 के उपनियम 1.4 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 25 जुलाई 2018 के नियम 2 में दिये निर्देशों के अनुक्रम में 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये गये हैं।
10. संविदा के लिए आरक्षित पदों का लाभ तभी दिया जावेगा "आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो, 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र यथास्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"
11. संविदा हेतु आरक्षित पदों पर आवेदन करने से पूर्व आवेदक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 05 जून 2018 का पूर्ण अवलोकन उपरांत ही यदि आवेदक अर्हता रखते हैं तो ही संविदा हेतु आरक्षित पदों पर लाभ प्रदाय किया जावेगा। यदि अर्हता नहीं रखते हैं तो बिना सूचना के आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा।

04.. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित श्रेणी हेतु 500/- (पाँच सौ रुपये) एवं आरक्षित श्रेणी हेतु 250/- (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए 250/- (दो सौ पचास रुपये) के लिए निर्धारित किये जाते हैं।

05.. आयुसीमा:-

अधिकतम आयु म0प्र0 शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म0प्र0 शासन के नियमानुसार होगी। समस्त पदों के लिये न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष ताकि अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वशासी में कार्यरत शासकीय सेवाकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे।

06.. सामान्य शर्तों:-

01. यह नियुक्ति "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" के अधीन होगी।
02. यदि कोई आवेदक किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन पत्र के साथ मूल नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं अन्य उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
03. आयु की गणना 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
04. पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
05. दस्तावेज सत्यापन के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा, उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।
06. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
07. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिए अहर्ताधारी हो तो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।
08. यदि आवेदक पूर्व से अन्य शासकीय संस्था में सेवारत है तो उस आवेदक को मूल नियोक्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
09. अधिष्ठाता, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं आध्यकारी होगा।
11. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर।
12. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
13. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 1554-63/स्था./अराज/2020, भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन म.प्र. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जावेगा।

07.. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र:-

स्टाफ नर्स का न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएँ देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

08.. अनहर्तायें :-

- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा-किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनहर्कारी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्वविवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी

ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल पर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंध-किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा। यदि उसके शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध हुआ हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ है।
- जिस आवेदक की दो से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

09.. चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वेटेज निम्नानुसार रहेगा):-

- मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 1554-63/स्था./अराज/2020, भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन म.प्र. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति की जावेगी। "उपरोक्त प्रक्रिया से पद भरने के उपरांत शेष रिक्त पदों के लिए अन्य संस्थाओं से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का सीधी भर्ती से भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों के लिए 100 बिन्दु रोस्टर का पालन एवं मध्यप्रदेश स्वशासी आदर्श सेवा भर्ती नियम, 2018 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।"
- विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किये गये आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंकों में से प्रवीण्य सूची बनाई जायेगी जो कि उनके द्वारा प्राप्त अंको के वेटेज अनुसार पदों को श्रेणी वार तैयार की जायेगी। उक्त मेरिट अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा।
- प्रत्येक श्रेणी हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा स्टॉफ नर्स की पृथक-पृथक प्रवीणीय सूची तैयार की जावेगी। स्टाफ नर्स की सामान्य प्रवीणीय सूची भी तैयार की जावेगी।
- प्रवीणीय सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम आर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसार भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यर्थी को आयोग्य घोषित किया जावेगा।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार को दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1485-99/स्था./नर्सिंग/2018, भोपाल दिनांक 16.10.2018 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

B.Sc./GNM Nursing (5 Marks per 10% For BSc, 5 Marks per 20% For GNM)	B.Sc./GNM Nursing Form Govt. College (20 Marks for BSc, 10 marks for GNM)	Work Experience in Govt./Pvt. Hospital (2 Marks per Year, 1 Marks per Year)	Total
Max.50	Max.20	Max.30	Max.100
1	2	3	4

10.. आवेदन संबंधित समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	दिनांक
01.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि	16.03.2021 रात्रि 11:59 बजे तक
02.	ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	30.03.2021 रात्रि 11:59 बजे तक

11.. आवेदन करने की प्रक्रिया :-

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लेवे। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-
 01. जन्मतिथि के लिये हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट/जन्म प्रमाण-पत्र/सर्टिफिकेट ।
 02. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के संबंध में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/अन्तिम वर्ष की अंकसूची।
 03. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 04. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
 05. उम्मीदवार का नवीन फोटो (जिस पर नाम एवं दिनांक अंकित हो) एवं हस्ताक्षर।
 06. 12वीं कक्षा की अंकसूची।
 07. आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र।
 08. प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं हस्ताक्षर सहित 200 KB से अधिक न हो।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाईन म.प्र. के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in पर Authorised kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फॉर्म भर सकते हैं।
- इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि :-

आवेदक एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवायें ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ड्राप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के लोगो पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन में जा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर एम.पी. ऑनलाईन के कस्टमर केयर नम्बर 0755-67202000, 0755-6720222 एवं ई-मेल आई.डी. helpdesk@mponline.gov.in पर आवेदक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. ऑनलाईन के www.mponline.gov.in के माध्यम से या गजराजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की वेबसाईट www.grmcgwali.org दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन करने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करने के लिये फॉर्म पर क्लिक करें इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाईन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा। जिसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी [hyperlink](#) को लिंक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर (JPG 200 KB साईज और मिनीमम) फॉर्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक ब्राउज बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ ले और यह सुनिश्चित कर ले की फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरांत सबमिट बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये [Proceed to payment](#) बटन पर क्लिक करेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

(अ.) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (ब.) इंटरनेट बैंकिंग

(अ.) क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भर सकता है। ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये [Proceed to payment](#) बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन

पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत **Confirm** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधित जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

(ब.) इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत **Proceed to payment** बटन क्लिक करने पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आश्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्य लें।

- **एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि** – आवेदक ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग इन करेगा। इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फॉर्म भरने संबंधित निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फॉर्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फॉर्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें आवेदक कियोस्क संचालक को आवेदन शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।
- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जायेगी।
- यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फॉर्म का कियोस्क के माध्यम से पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन लिंक द्वारा आवेदन शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है। इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शायी गई विधि अनुसार फॉर्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फॉर्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा इसके उपरांत कियोस्क संचालक पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन में उक्त जानकारी भरकर फॉर्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to payment** बटन दबाकर आवेदन शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में आवेदन शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाईन पेमेंट करने पर यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/ पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

12.. महत्वपूर्ण टीप:-

- उपरोक्त तिथियां गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की वेबसाइट www.grmcgwali.org एवं एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की कोई जबाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अथार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

- जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी। उन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक या स्वयं आकर आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से पहले जमा करना होगा। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया गया जावेगा।
- आवेदक स्टॉफ नर्स के रिक्त पद हेतु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अथवा गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर के लिए आवेदन करता है तो उसे प्राथमिकता दर्ज करना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 28/03/2021.

पृ.क्र. 1551-60/स्था. अराज/2021
प्रतिलिपी:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर मध्यप्रदेश

गजराजाराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अन्तर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
ग्वालियर एवं गजराजाराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य
चिकित्सालय समूह ग्वालियर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

01. पदनाम:-स्टाफ नर्स (अ) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल (ब) गजराजाराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर।
02. आवेदक का पूरा नाम.....उपनाम.....
03. पिता/पति का नाम.....उपनाम.....
04. जन्म तिथि (अंको में)...../...../.....
जन्म तिथि (शब्दों में).....
05. वर्तमान निवास का पूर्ण पता.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....पिन.....
06. स्थाई निवास का पूर्ण पता.....
तहसील.....जिला.....राज्य.....पिन.....
07. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
08. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि.....
09. नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....
11. सेवारत (नियमित/संविदा) होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ-पत्र संलग्न करें।
13. विधवा/परित्यक्त/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तद्विषयक शपथ पत्र संलग्न करें।
14. शैक्षणिक योग्ताएं-(सभी बोर्ड 10वी एवं 12वी एवं स्नातक परीक्षा एवं अनिवार्य योग्यता की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्रमांक	परीक्षा का नाम	शासकीय नर्सिंग स्कूल/ शासकीय/स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय/शासकीय एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)

01. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10वी की अंकसूची।
02. कक्षा 12वी की अंकसूची
03. स्नातक परीक्षा की अंकसूची
04. ई.डब्लू.एस./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/भूपू.सैनिक के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
05. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
06. आधार कार्ड
07. विज्ञापन पद के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न करें।
08. ऑनलाईन भुगतान किये गये, रसीद की प्रति संलग्न करें।
09. अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य संस्थाओं में कार्यरत होने पर मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
10. अन्य प्रमाण पत्र।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

स्वप्रमाणित शपथ पत्र

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जाँच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी भी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. मुझ पर मध्यप्रदेश शासकीय/स्वशासी चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के नियम एवं संशोधित नियम पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।
5. मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न जानकारी, दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति कूट रचित/फर्जी पाई जाती है, मेरी उम्मीदवारी निरस्त मान्य करते हुये मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जावें।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर